

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 63/2018 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. मदनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी करणवा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. भूराराम पुत्र दौलाराम जाति मेघवाल निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी

--: निर्णय :-

दिनांक :- 15/7/19

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत कोटडी के पट्टा संख्या 000131 एवं आदेश दिनांक 18.01.1985 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत कोटडी का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 भूराराम ने सरपंच वीरमराम के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए अपने नाम ग्राम पंचायत कोटडी की गोचर भूमि का विक्रय विलेख संख्या 00013 जारी करवा लिया, जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी को निःशुल्क जारी किया गया है, जो किस प्रस्ताव के तहत जारी किया गया है, इसका भी अंकन पट्टे पर नहीं है। पट्टे में अंकित शर्त संख्या 8 में स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन के दो वर्ष के भीतर मकान या झोपडा बनाना अनिवार्य है, लेकिन उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी भूराराम का न तो कब्जा है एवं न ही उसने वहां पर कोई निर्माण कार्य करवाया है, जबकि पट्टे में अंकित शर्तों की पालना करने के आज्ञापक प्रावधान है। प्रार्थी को जब जैर निगरानी पट्टे के संबंध में जानकारी हुई, तो उसने ग्राम पंचायत कोटडी से पट्टा एवं उससे संबंधित रेकार्ड की प्रति चाही तो, ग्राम विकास अधिकारी, कोटडी ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या 131 व उसकी मिसल उपलब्ध नहीं है, न ही प्रस्ताव है। उक्त पट्टा फर्जी जारी किया

जिला कलेक्टर, पाली
15/7



गया है। अप्रार्थी संख्या 1 भूराराम के नाम जारी पट्टा संख्या 000131 के पृष्ठ भाग पर दो सरपंचों के हस्ताक्षर मय मोहर के जारी किया गया है, दोनों में ही पृथक-पृथक व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा संख्या 131 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा जिस पट्टे एवं प्रस्ताव को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। उक्त पट्टे एवं प्रस्ताव की सूचना प्रार्थी मदनसिंह द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, कोटडी से चाहने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.07.2018 के द्वारा मदनसिंह को अवगत कराया कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 000131 ग्राम पंचायत कोटडी के रिकॉर्ड के आधार पर जारी नहीं किया गया है एवं यह पट्टा पूर्णतया फर्जी है, व ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा न्यायालय द्वारा भी ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब किए जाने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कोटडी ने अपने पत्रांक 2018-19/स्पे. 1 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि जैर निगरानी पट्टा व उससे संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कोटडी में उपलब्ध नहीं है, न ही पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव के किसी भी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो वह निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा बिना पंचायत प्रस्ताव के जारी किया गया है, जो विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली संलग्न जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के पृष्ठ भाग पर दो सरपंचों के हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी किया गया है, एक ही समय में एक ही पंचायत के दो सरपंच नहीं हो सकते। इस कारण भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित शर्त संख्या 8 की पालना नहीं करने एवं पट्टा गोचर भूमि में जारी करने तथा जैर निगरानी आराजी पर पट्टा धारक का कब्जा न होकर रावल समाज का होना बताया है। इन तथ्यों के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब या अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोटडी के पट्टा संख्या 000131 जारी दिनांक 18.01.1985 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कोटडी को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निवेदन लेखक जैरपोली)
जिला कलेक्टर, पाली